संख्या-724 /XXVIII-3-2010-98/2010

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादूनः दिनांक 24 सितम्बर, 2010

विषयः ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 आदि पाठ्यक्रम के संचालानार्थ निजी संस्थाओं को अनापत्ति दिये जाने एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालयों में शैय्या उपलब्ध कराये जाने हेतु शर्तों/प्रतिबन्धों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 आदि पाठ्यक्रम के संचालानार्थ निजी संस्थाओं को अनापत्ति दिये जाने एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालयों में शैय्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया/ शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें:-

(अ) **उत्तराखण्ड सरकार से अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जानाः**

(1) निजी पैरामेडिकल/नर्सिंग संस्थानों के संचालनार्थ आवेदन किये जाने हेतु सम्बन्धित संस्था द्वारा रू0 1,000/- जमा कर महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड के कार्यालय से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक प्राप्त किये जायेंगे ।

(2) आवेदन पत्र को निर्धारित डी0पी0आर0 एवं अन्य आवश्यक प्रपत्रों की प्रति संलग्न कर रू0 25,000/- प्रति कोर्स की दर से आवश्यक धनराशि सहित प्रति वर्ष माह अगस्त तक जमा किया जायेगा, जो अगली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र के लिये होगा।

(3) प्राप्त आवेदन पत्रों को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में शासन से अनुमोदन के उपरान्त गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा तथा परीक्षण के उपरान्त अनुपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों को विद्यमान कमियों को इंगित करते हुये निराकरण हेतु सम्बन्धित संस्था को 30 सितम्बर तक वापस कर दिया जायेगा एवं सम्बन्धित संस्था द्वारा आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त 01 माह के अन्दर पुनः महानिदेशालय में विचारार्थ आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किया जायेगा। इसके उपरान्त भी आवेदन पत्र अनुपयुक्त पाये जाते हैं, तो उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा तथा संस्था द्वारा जमा किये गये आवेदन शुल्क को जब्त कर लिया जायेगा।

(4) समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों को महानिदेशक की संस्तुति के साथ सम्बन्धित संस्थान के निरीक्षण के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को संदर्भित किया जायेगा।

(5) सम्बन्धित संस्थान के भौतिक निरीक्षण हेतु सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन से अनुमोदन के उपरान्त महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार निरीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा:-

(i) अध्यक्ष, अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा।

(ii) सदस्य, महानिदेशालय के संयुक्त निदेशक स्तर अथवा इससे उच्च स्तर का अधिकारी एवं सरकारी क्षेत्र से आवेदन की गयी विधा (subject) से सम्बन्धित एक कार्मिक।

(6) उक्त समिति द्वारा सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण 30 नवम्बर तक कर निरीक्षण आख्या महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

(7) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड जाँच आख्या को समिति के सम्मुख परीक्षण हेतु प्रस्तुत करेंगे एवं मानकानुसार उपयुक्त पाये जाने पर अपनी संस्तुति के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनिवार्यता प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करेंगे।

(8) परीक्षण के उपरान्त समिति द्वारा निरस्त किये गये आवेदन पत्रों को कमियों के निराकरण हेतु 15 दिन का समय देकर प्रत्यावर्तित किया जायेगा। यदि निर्धारित समय के अन्तर्गत कमियों का निराकरण संस्था द्वारा नहीं किया जाता है, तो आवेदन पत्र को निरस्त कर जमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

(9) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड से प्राप्त प्रस्तावों को शासन स्तर पर इस हेतु गठित समिति के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(10) समिति द्वारा सम्बन्धित संस्था को प्रश्नगत् पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु प्राप्त अनुमोदन के आधार पर सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सम्बन्धित संस्था को 28 फरवरी तक अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

(11) सरकारी संस्थानों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(ब) भारतीय नर्सिंग कौंसिल नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करना:

(1) राज्य सरकार द्वारा संस्था को अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित संस्था द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम के संचालन हेतु भारतीय नर्सिंग कौंसिल से 31 मार्च तक अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(स) परिक्षा संचालन करने हेतु परीक्षा बोर्ड/विश्व विद्यालय/राज्य चिकित्सा संकाय से अनुमति प्राप्त करना:

(1) भारतीय नर्सिंग कौंसिल से पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त संस्था को सम्बन्धित परीक्षा संस्था से 30 अप्रैल तक अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा उत्तराखण्ड राज्य नर्सिंग कौंसिल से भी 15 मई तक अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(द) राज्य नर्सिंग कौंसिल/राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा निरीक्षण किया जाना:

(1) सम्बन्धित संस्था के प्रथम बैच के पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने तक आई0एन0सी0 तथा उत्तराखण्ड राज्य नर्सिंग कौंसिल द्वारा संस्था का प्रति वर्ष निरीक्षण किया जायेगा तथा वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। इसके उपरान्त कौंसिल द्वारा संस्था का कभी भी आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा, जिसके आधार पर अनुमोदन जारी रखने अथवा उसे निरस्त किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

(य) सरकारी चिकित्सालयों में शैय्याओं का आबद्धीकरण:

(1) किसी निजी संस्थान को अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु राजकीय चिकित्सालय की शैय्याओं की सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि उस क्षेत्र में राजकीय संस्थाओं की स्थापना होने अथवा प्रश्नगत चिकित्सालयों में शैय्याओं की आवश्यकता होने पर शैय्याओं की सम्बद्धता 03 माह का पूर्व नोटिस देकर समाप्त कर दी जायेगी तथा निजी संस्थाओं द्वारा इस मध्य अपना स्वयं का चिकित्सालय स्थापित करना होगा।

(2) प्रशिक्षण संस्था को अपेक्षित संख्या में प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु शैय्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर सचिव, चिकित्सा द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) राजकीय चिकित्सालयों में उन्हीं संस्थाओं को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु शैय्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा, जिनके द्वारा सम्बन्धित प्रशिक्षण की 50 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड शासन द्वारा भरे जाने, उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के लिए निर्धारित शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने एवं संस्था में उच्च पदों पर नियुक्ति में उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों को वरीयता प्रदान किये जाने तथा श्रेणी तीन व चार के पदों को शत-प्रतिशत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी

निवासियों से ही सेवायोजित किये जाने हेतु सहमति प्रदान करते हुये एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया हो।

(4) सम्बन्धित चिकित्सालयों में संस्था के सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी रू0 2,000/- प्रतिमाह शुल्क संस्था द्वारा दिया जाना होगा, जिसे वार्षिक व्यय के रूप में सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष के नाम बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रशिक्षण प्रारम्भ कराने से पूर्व जमा करना होगा। शैय्या सम्बद्धिकरण हेतु संस्था को चिकित्सालयों से सम्बन्धित पाठ्यक्रम की अवधि के लिये एम0ओ0यू0 करना अनिवार्य होगा।

(5) प्रशिक्षण संस्था के छात्रों द्वारा अभ्यासिक प्रशिक्षण प्राप्ति के समय यदि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या राजकीय चिकित्सालय की चल-अचल सम्पत्ति की क्षति की जाती है, तो इसका हर्जाना संस्था द्वारा भरा जायेगा एवं स्थिति विवादित होने पर अभ्यासिक प्रशिक्षण समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित चिकित्सालय की प्रबन्ध समिति द्वारा जाँच आख्या महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी तथा महानिदेशक द्वारा प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(6) निजी संस्थाओं द्वारा सम्बद्धता हेतु प्रतिवर्ष उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन 01 वर्ष की अवधि के लिये एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जाना होगा, जिसे विभाग द्वारा 03 माह का पूर्व नोटिस देकर कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

संख्या-734 /XXVIII-3-2010-98/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2- रजिसट्रार, उत्तराखण्ड राज्य नर्सिंग कौसिल, देहरादून।
3- एन0आई0सी0/ गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव